# माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री विजेन्द्र जैन जी द्वारा पटियाला में **17.12.2006** को 'कन्या भ्रूण हत्या' के विषय पर आयोजित सेमिनार (संगोष्ठी) के अवसर पर सम्बोधन

पंजाब के मुख्यमंत्री Captain Amrinder Singh Ji, वित्तमंत्री Sh. Surinder Singla Ji, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मेरे तमाम colleagues जज साहिबान, पंजाब प्रशासन के अधिकारीगण, तमाम जिलों से आए जिला परिषद के सदस्यगण, Non-Governmental Organisations के NGOs के Members, Bar Associations के पदाधिकारीगण और दूर-दूर से यहां पर एकत्रित हुए बहनों और भाइयों,

मैंने जब 28 नवम्बर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में Chief Justice की हैसियत से शपथ ली, मेरे मन में एक पहली इच्छा थी कि पंजाब जो सारे हिन्दुस्तान का सिरमौर है, जिसने आज़ादी की जंग के अंदर एक अहम भूमिका निभाई है और आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान की इसतदादी तरक्की के अंदर एक अहम Role रखा है, वहां क्या कारण है कि बच्चियों को पैदा होने से पहले उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा कलंक, अभिशाप किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता है। बच्चियॉं कहां से आएं। जब मैंने यह सोचा तो पाया कि कानून का इसके साथ सीधा सम्बंध है। इसलिए हमें जनता को सचेत करना

है, आहवान करना है। पंजाब के नवयुवकों को, नवयुवतियों को, पढ़े लिखे लोगों को आगाह करना है।

कोई कानून ये अभिशाप खत्म नहीं कर सकता। जब तक उसमें वहां के रहने वालों का, वहां की जनता का, वहां के नौजवानों का उसके अंदर सहयोग न हो। तो जब हमने दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice Y.K. Sabharwal साहब को कहा। सिर्फ एक हफ्ते या दस दिन का हमने उनको नोटिस दिया कि हम पटियाला में जो सबसे ज्यादा affected हिस्सा है। एक हजार लड़कों के ऊपर सिर्फ 790 लड़कियों का अनुपात है। मैंने कहा Chief Justice साहब आप आइए, पंजाब की जनता का आहवान कीजिए कि 2007 का जो साल होगा उसमें हम लोग, जो न्याय प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक संकल्प लेंगे कि हम इस साल के अंदर जिलों में, Sub-Divisional towns में, गांवों के अंदर जाकर के लोगों को आगाह करेंगे, उनको बताएंगे कि भ्रूण हत्या करना एक जघन्य अपराध है। ऐसा करना मानवता के प्रति सबसे बड़ा श्राप है। ऐसा करना भगवान के विरूद्ध है। हमें हमारी माताओं का, बहनों का, स्त्रियों का, पुरूषों का सहयोग मिलेगा। क्योंकि अगर ये अनुपात घटता गया तो इस गुलदस्ते की हालत वही होगी कि जहां पर एक ही रंग का फूल हों और अलग-अलग रंग के फूल नहीं हों तो क्या वो गुलदस्ता अच्छा लगेगा। ये आपको सोचना है। और जहां तक कानून के अंदर जो कमी है, वो कमी

इसलिए होती है कि ये जो हमारी बहनें शायद सासुजी के डर की वजह से या और किसी कारण से भ्रूण हत्या के अंदर शामिल होती हैं तो वो भी सृष्टि के विरूद्ध, भगवान के विरूद्ध एक बड़ा भारी पाप होता है।

नौजवान आदमी वही होता है जो मुश्किलों के ऊपर संघर्ष करके आगे बढ़ता है। इस समय मुझे एक कवि की पक्तियां याद आती हैं कि

राह मुश्किल, तू अकेला,
दूर मंजिल, क्या हुआ।
राह चूमेगी चरण,
अभियान करना चाहिए।
देखकर संघर्ष जो, पीछे हटे, घबरा गए,
ऐसी जवानी को कहीं जा डूब मरना चाहिए।।

इसलिए आइए हम सब लोग आज संकल्प करें कि 2007 के अंदर हम तमाम लोग मिलकर पंजाब के अंदर जो sex अनुपात में खाई है, उसको बांटेंगे। मैं श्री अशोक भान साहब, जो हमारे Supreme Court of India के वरिष्ठ न्यायमूर्ति हैं, का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हमने उनसे request की कि आप पटियाला आइए, क्योंकि पंजाब से आपका सम्बंध है, इस जिले से आपका सम्बंध है। उनके स्वर्गीय पिताश्री श्री वृषभान जी Pepsu के Chief Minister रहे। आप भी आकर के हमारी इस मुहिम में शामिल होइए। उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहज स्वीकार किया। मैं पंजाब

और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। हमें इस मुहिम को गांव-गांव के अंदर Legal Services Authority के माध्यम से पंहुचाना होगा। उसके लिए काम करना है। मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ।